न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 45/2019

निर्णय दिनांक : 12.03.2020

उनवान

1. पृथ्वी सिंह चौहान पुत्र श्री भैरूलाल धाभाई जाति गुर्जर पता– धाभाई भवन बगरूकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रमेश नाबालिक जरिये संरक्षक माता कमला पत्नी रमेश जाति हरिनारायण ब्राहम्ण निवासी– ग्राम भभोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. मै0 रिबेरा रिक्रियेशन प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर सुरेश अरोडा पता बगडीया भवन के सामने पृथ्वीराज मार्ग, सी–स्कीम जयपुर।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये आयुक्त पता– बिडला मन्दिर के सामने जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू.रा.अ. 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 0.0422 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1002 हैक्टेयर वाके ग्राम भम्भोरिया कंला पटवार हल्का भम्भोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी के पडोस में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थीगण की जानकारी में दिनांक 30.05.2019 को करवाया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 पडौसी खातेदार है। आये दिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी की कृषि भूमि में दखलन्दाजी करते रहते है, अतिक्रमण का प्रयास करते रहते है। इस कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को सही प्रकार से देखभाल करने व उपयोग–उपभोग करने में असमर्थ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लडाकू व झगडालू किश्म के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में बुवाई जुताई में व्यवधान करते रहते है और प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत से प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने की नियत से सीमाचिन्ह को मिटाने के लिये आमादा हो रहे हे। इस नियत से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 24.07.2019 को पत्थरगढी करवाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिये प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रा. पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड नोटिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 04.01.2020, अप्रार्थी संख्या 3 को दिनांक 07.01.2020 तथा अप्रार्थी संख्या 4 को दिनांक 03.01.2020 को नोटिस प्राप्त हो गये हैं। अप्रार्थी संख्या एक तारीख पेशी 28.08.2019 को स्वयं उपस्थित हुये। अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

संख्या 2 से 4 को जारी नोटिस प्राप्त हो गये है, जिनका एक माह अधिक का समय हो गया है। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से आगे कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील प्रार्थी की बहस अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने की सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की वाके ग्राम भम्भोरिया कंला पटवार हल्का भम्भोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 0.0422 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1002 हैक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट 30.5.19 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 12-3-20 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2020.06.19 15:35:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: